शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–एक

(नियम 4.1 देखिए)

खण्ड –स

सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड–पे
1	2	3	4
1.	लैब टेक्नीशियन	78	5200-20200+2800
2.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	03	5200-20200+2800
3.	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर	25	5200-20200+2800
4.	डार्क रूम असिस्टेंट	09	5200-20200+1900
5.	लैब असिस्टेंट	51	5200-20200+2800
6.	लैब अटेंडेन्ट	63	4440-7440+1300
7.	डायलिसिस टेक्नीशियन	01	5200-20200+2400
8.	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	03	5200-20200+2800
9.	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	01	5200-20200+2800
10.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	38	5200-20200+2400
11.	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	01	5200-20200+2400
12.	फिजियोथेरापिस्ट	01	9300-34800+4200

टीप :– अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद हैं।

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं अधिष्ठाता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

Dr. (Registrar MPPMC).

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–दो

(नियम 5.1 देखिए)

खण्ड –स सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1.	लैब टेक्नीशियन	78	-	100%
2.	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	03	100%	-
3.	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर	25	80%	20%
4.	डार्क रूम असिस्टेंट	09	50%	50%
5.	लैब असिस्टेंट	51	50%	50%
6.	लैब अटेंडेन्ट	63	100%	-
7.	डायलिसिस टेक्नीशियन	01	100%	-
8.	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	03	100%	-
9.	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	01	-	100%
10.	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	38	80%	20%
11.	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	01	100%	-
12.	फिजियोथेरापिस्ट	01	100%	-

टीप :– कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय–समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी ।

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर
सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),
इन्दौर (म.प्र.)

(Registrar MPPMC)

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

संचालक,
चिकित्सा शि.
मध्य प्रदेश, भो.

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

संशोधित

अनुसूची–तीन
(नियम 5.2 देखिए)

खण्ड –स सह चिकित्सकीय संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्त की अधिवार्षि की आयु
1	2	3	4	5	6
1.	2	ई.सी.जी. टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से ई.सी.जी. टेक्नीशियन में 01 वर्ष पाठ्क्रम का प्रमाण –पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
2.	3	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन /रेडियोग्राफर	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय मे डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	62 वर्ष
3.	4	डार्क रूम असिस्टेंट	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स–रे टेक्नीशियन में 01 वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
4.	5	लैब असिस्टेंट	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण । 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.)/क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा/माईक्रोबायलॉजी का डिप्लोमा। 3. मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
5.	6	लैब अटेंडेंट	18 वर्ष	बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।	62 वर्ष
6.	7	डायलेसिस टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डायलेसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
7.	8	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	18 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री। 2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष

आयुक्त

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

निशांत वरवड़े
आई.ए.एस.
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश; भोपाल

संचालक;
चिकित्सा शिक्षा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं अधिष्ठता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
8.	10	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा। 3. मध्यप्रदेश फार्मेसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष
9.	11	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. प्रोस्थेटिक्स/आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा।	62 वर्ष
10.	12	फिजियोथेरापिस्ट	18 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।	62 वर्ष

टीप:–

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद या मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी ।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म.प्र.)

(RMPPMC)

निशांत वरवड़े
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश, भोपाल

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–चार

(नियम 7.2 देखिए)

खण्ड–स

सह चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	एक्स–रे टेक्नीशियन	रेडियोग्राफी टेक्नीशियन /रेडियोग्राफर	एक्स–रे टेक्नीशियन के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी – **अध्यक्ष** 2. संभागायुक्त द्वारा मनोनीत सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक – **सदस्य** 3. चिकित्सा महाविद्यालय का अधीक्षक – **सदस्य**
	डार्क रूम असिस्टेंट	एक्स–रे टेक्नीशियन	1. डार्क रूम असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिग्री/ डिप्लोमा/प्रमाण पत्र 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	
	लैब असिस्टेंट	लैब टेक्नीशियन	लैब असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव। एवं म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित योग्यता।	
	लैब अटेंडेंट	लैब असिस्टेंट	1. लैब अटेंडेंट का 5 वर्ष का अनुभव। 2. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण। 3. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) /क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा/ माईक्रो–बायोलॉजी काडिप्लोमा। 4. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन।	
	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	फार्मासिस्ट ग्रेड–1	फार्मासिस्ट ग्रेड–2 के पद पर 05 वर्ष कार्यानुभव	

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
एवं अधिष्ठाता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

म.गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म.प्र.)

Registrar MPPMC

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

अनुसूची–पांच

(नियम 11.1 देखिए)

खण्ड –स सह–चिकित्सकीय संवर्ग

सं.क.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक के खण्ड–स में उल्लेखित संवर्गों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी ।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में किसी अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा कर सकेगा 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा, माह के मध्य में नियुक्त होने पर अर्जित अवकाश की गणना 2½ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जावेगी।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में
4	प्रसूति अवकाश	महिला सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी ।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को 2 से कम जीवित संतान होने की दशा में 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी, प्रसव के 15 दिवस के पहले अथवा 15 दिवस बाद से 6 माह की अवधि में ना लेने पर व्यपगत (लेप्स) हो जावेगा
6	अध्ययन अवकाश	संवर्ग की पात्रता अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेषित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा मंहगाई भत्ता (अन्य भत्ते नही) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 5 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरांत तीन वर्ष से अधिक का समय सेवा निवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा ।
7	संतान पालन अवकाश	महिला सह–चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा । जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है परंतु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना कमांक 16–18/97/एन. 1.1 दिनांक 01 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम 40 प्रतिशत निशक्तता वाली 22 वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा ।

टीपः–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नही किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रद्द करने का निर्णय ले सकेगा।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा।

प्रभारी अधिकारी
स्थापना शाखा
म. गाँ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गा.स्मृ.चिकि. महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर
म. गा. स्मृति चिकित्सा महा. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

(Registrar MPPMC)

आयुक्त
इन्दौर संभाग, इन्दौर